N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0138 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 11/07/2024 18:03 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 23/02/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:05 बजे **Time To (समय तक):** 14:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/07/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 11/07/2024 18:03:09 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 45 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** NEAR RAJESH PILOT COLLAGE, SHRIRAM E-MITRA LALSOT, DISTRICT DAUSA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PADAMCHAND MAHAWAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SARWANLAL MAHAWAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	THLAOJ, LALSOT, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	THLAOJ, LALSOT, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHESH KUMAR MEENA		पिता:GOPAL PRASAD MEENA	1. GRAM PANCHAYAT CHANDSAIN,BHOPAWALI DHANI THAILAOJ,LALSOT,DAUSA,RAJ

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि परिवादी श्री पदमचन्द महावर पुत्र श्री श्रवणलाल महावर जाति महावर, उम्र 27 साल, निवासी ग्राम थलोज, तहसील लालसोट, जिला दौसा ने दिनांक 21.02.2024 को समय 12.05 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित होकर मन उप अधीक्षक पुलिस तत्कालीन पुलिस निरीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि मेरा ग्राम हमारी ग्राम पंचायत चान्दसैन में पडता है। मै मेरे मकान आबादी का पट्टा बनवाना चाहता था, जिसकी मै पत्रावली तैयार करके मेरी ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमति कौशल्या देवी से मिला तो उसने कहा कि मेरे पति श्री महेश से मिल लेना, जो सरपंच का कार्य करता है। इस पर मै उसके पति श्री महेश कुमार से मिला तो उसने मेरे से मेरा पट्टा ग्राम पचायंत से बनवाकर देने के लिए 25,000 रूपये रिश्वत की मांग की और मेरे से 10,000 रूपये प्राप्त कर लिए तथा 15,000 रूपयें की और मांग कर रहा है। मै मेरे जायज काम के लिए सरपंच व उसके पति को रिश्वत नही देना चाहता हू और उन्हे रिश्वत लेते हुये रगें हाथो पकडवाना चाहता हू। आप मेरी कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से मजीद दरियाफत की गई तो परिवादी द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट में अकिंत तथ्य सही होना एंव लिखित रिपोर्ट अपनी हस्त लिखित होना ताईद करते हुये आरोपीगण से कोई रजिश, दुश्मनी व उधार का लेन देन बकाया नही होना बताया। तत्पश्चात परिवादी की लिखित रिपोर्ट के अवलोकन व मजीद दरियाफत से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाये जाने पर परिवादी श्री पदमचन्द महावर का परिचय श्री मुकेशचन्द कानि0 101 से करवाया जाकर मांग सत्यापन हेतु कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मैक सोनी निकालकर व उसमें एसडी कार्ड 32 जीबी लगाकर परिवादी श्री पदमचन्द महावर को उसे चलाने व बन्द करने की विधि समझाई जाकर, वाईस रिकॉर्डर के सभी फोल्डर एंव एसडी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन के समय होने वाली वार्ता को टेप करने की समझाईश की जाकर जरिये फर्द सुपुर्द कर मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ श्री मुकेशचन्द कानि0 नं. 101 को मुनासिब हिदायत कर ढाणी भोपा ग्राम थलोज ग्राम पंचायत चान्दसैन तह0 लालसोट, जिला दौसा के लिए रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 4.30 पीएम पर श्री मुकेशचन्द कानि0 बाद मांग सत्यापन कार्यालय में उपस्थित आया व मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर पेश कर बताया कि मैं और परिवादी यहां से रवाना होकर सरपंच श्रीमति कौशल्या देवी के मकान ढाणी भोपा ग्राम थलौज के पास पहुंचे। इसके बाद मैंने डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी श्री पदमचन्द महावर को आरोपिया से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए मुनासिब हिदायत कर दिया। इसके बाद मै व परिवादी वहां से रवाना होकर सरपंच श्रीमति कौशल्या देवी के मकान के पास पहुचे, तो मै तो उस मकान के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये खडा हो गया और परिवादी उस मकान के अन्दर चला गया। कुछ समय बाद परिवादी, श्रीमति कौशल्या देवी सरपंच से वार्ता कर मेरे पास आया एंव मुझे डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया तो मैने डिजिटल टेपरिकॉर्डर को बन्द कर अपने कब्जे में लिया। इसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि मै सरपंच श्रीमति कौशल्या देवी के पास उसके मकान पर गया तो वह मुझे अपने मकान पर उपस्थित मिली, जिससे मैने अपने पट्टे के बारे में वार्ता की तो उन्होने अपने पति श्री महेश के लिए कहा कि वो ही काम करते है मुझे पता नही और वे अबार तो है नही आने दो फेर उनको कह दुगी। इसके बाद मैने उसको कहा कि दस हजार तो दे ही दिया था और वे दस हजार रूपये और मांग रहे है, इस पर सरपंच श्रीमती कौशल्या देवी ने मुझे कहा कि आबा दो उनको कहुगी उनको, वो ही सरपंच के काम करते है अपने हिसाब से। वे अबार तो शादी में जयपुर गये हुये है। इसके बाद हम दोनों वहा से रवाना होकर लालसोट आये और परिवादी ने मुझे कहा कि सरपंच का पति श्री महेश शादी में गया हुआ है एंव मेरे घर पर भी जरूरी कार्य है इसलिए मेरा घर जाना जरूरी है। मै सरपंच पति श्री महेश के आने पर आपको सुचित कर दुगा। इसके बाद मै परिवादी को वहीं छोडकर वहा से रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आया। तत्पश्चात श्री मुकेशचन्द कानि0 101 के द्वारा पेश किये गये डिजिटल टेपरिकॉर्डर को चालू कर सुना तो उसमें कानि0 को परिवादी द्वारा बताई गई बातो का रिकॉर्ड होना एंव सरपंच का कार्य उसके पति श्री महेश द्वारा ही करना एंव इस सम्बन्ध में उसी से ही बात करने के लिए कहना स्पष्ट रूप से पाया गया। टेप रिकॉर्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। इसके बाद दिनांक 23.02.2024 को समय 11.00 एएम पर परिवादी द्वारा श्री मुकेशचन्द कानि0 को सरपंच पति श्री महेश के उपस्थित होने व उससे मांग सत्यापन करवाने के लिए सूचना देने एंव स्वंय का कानि0 को लालसोट पर मिलने की कहने पर परिवादी के बताये अनुसार सरपंच पति श्री महेश कुमार से गोपनीय मांग सत्यापन करवाने हेतु श्री

मुकेशचन्द कानि0 को मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के मुनासिब हिदायत कर परिवादी द्वारा बताये गये स्थान लालसोट के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 04.00 पीएम पर श्री मुकेशचन्द कानि0 101 बाद मांग सत्यापन के राजकीय राजेश पायलेट कॉलेज लालसोट जिला दौसा से उपस्थित कार्यालय आया व मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द्द शुद्वा डिजिटल टेपरिकॉर्डर पेश कर बताया कि मै यहा से रवाना होकर लालसोट बस स्टेण्ड पर पहुचा तो मुझे परिवादी श्री पदमचन्द महावर उपस्थित मिला। जिसने बताया की सरपंच पति श्री महेश राजेश पायलेट कॉलेज के पास श्रीराम ई मित्र पर है। इसके बाद हम दोनों वहा से परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना होकर राजकीय राजेश पायलेट कॉलेज लालसोट के नजदीक पहुचे, जहा पर मोटर साईकिल को एक साईड में खडी कर मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालूकर परिवादी को सुपुर्द्द किया गया। इसके बाद परिवादी तो उस कॉलेज के पास दुकान ई-मित्र पर चला गया तथा मै उस कॉलेज के आस पास परिवादी पर नजर रखते हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये खडा हो गया। कुछ समय बाद परिवादी सरपंच पति श्री महेश कुमार से वार्ता कर मेरे पास आया और मुझे डिजिटल टेपरिकॉर्डर पेश किया तो मैने बन्द कर अपने कब्जे में रख लिया, तब परिवादी ने मुझे बताया कि मैने श्री महेश कुमार से मेरा पट्टा बनाकर देने के बारे में बात की तो उन्होने मेरे से 25 हजार रूपये रिश्वत की मांग की, मैने उनसे कहा कि साहब मै तो गरीब आदमी हू और आपके साथ ही रहा हू तब उन्होने कहा कि आपके लिए ही 25 है, फिर मेरे द्वारा और कम करने के लिए कहा तो उन्होने पॉच कम करते हुये 20 हजार रूपये देने के लिए कहा। इस पर मैने उनको 10 हजार रूपये तो पहले ही दिये थे उनकी बताई तब उन्होने सचिव ग्राम पंचायत चान्दसेन के नाम से 10 हजार रूपये और देने के लिए कहा। मैने उनसे हुई सभी बातों को टेप रिकॉर्डर में टेप कर लिया। इसके बाद परिवादी ने मुझे कहा कि मेरे घर पर जरूरी कार्य है इसलिए मेरा घर जाना आवश्यक है। तत्पश्चात मै परिवादी को वहीं छोडकर वहा से रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आया। इसके बाद श्री मुकेशचन्द कानि0 101 के द्वारा पेश किये गये डिजिटल टेपरिकॉर्डर को चालू कर सुना तो उसमें कानि0 को परिवादी द्वारा बताई गई बातो का रिकॉर्ड होना एंव आरोपी द्वारा सचिव के लिए भी कहना स्पष्ट रूप से पाया गया। इस पर सचिव से मांग सत्यापन करवाने बाबत परिवादी से जरिये वाट्स अप कॉल वार्ता की तो परिवादी ने सचिव का अवकाश पर होना बताते हुये बताया कि वह अवकाश से जब भी डयूटी पर आयेगा मै आपको मांग सत्यापन करवाने हेतु सुचित कर दुगां। टेप रिकॉर्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। इसके बाद दिनांक 11.03.2024 को समय 09.45 एएम पर परिवादी द्वारा श्री मुकेशचन्द कानि0 को सचिव श्री कमलेश के उपस्थित होने व उससे मांग सत्यापन करवाने के लिए सूचना देने एंव स्वंय का कानि0 को लालसोट पर मिलने की कहने पर परिवादी के बताये अनुसार सचिव से गोपनीय मांग सत्यापन करवाने हेतु श्री मुकेशचन्द कानि0 को मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के मुनासिब हिदायत कर परिवादी द्वारा बताये गये स्थान लालसोट के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 12.45 पीएम पर श्री मुकेशचन्द कानि0 101 मय परिवादी श्री पदमचन्द महावर के रवाना शुद्वा बाद गोपनीय मांग सत्यापन के संदिग्ध आरोपी श्री कमलेश सचिव ग्राम पचांयत चान्दसैन तहसील लालसोट जिला दौसा से उपस्थित कार्यालय आया एंव मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी द्वारा बाद मांग सत्यापन उसको सुपुर्द्द शुद्वा विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर पेश किया। तब परिवादी ने बताया कि आपका कानि0 श्री मुकेशचन्द मुझे लालसोट बस स्टेण्ड पर मिला। जिसको मैने बताया कि सचिव साहब ग्राम पचायंत चान्दसैन पर है। इस पर हम दोनों मेरी मोटर साईकिल से वहा से रवाना होकर ग्राम पचायंत चान्दसैन के नजदीक पहुचकर मोटर साईकिल को एक साईड में खडा किया। इसके बाद श्री मुकेशचन्द कानि0 ने मुझे डिजिटज वाईस टेपरिकॉर्डर चालूकर दिया तो मै वहा से रवाना होकर ग्राम पचायत में श्री कमलेश सचिव के पास आया और मुकेश चन्द कानि0 ग्राम पचायंत के बाहर ही खडा हो गया। मै ग्राम पचायत में सचिव श्री कमलेश के पास आया तो वह मुझे अपनी ऑफिस में काम करता हुआ मिला, जिसको मैने नमस्कार की और फिर मेरे पट्टे बाबत बात की तो उन्होने मेरे से मेरे पट्टे देने बाबत कोई रिश्वत की मांग नही की। इस पर मैने उनको सरपंच पति श्री महेश कुमार के द्वारा मांग करने बाबत बताया तो उन्होने मुझे कहा कि किसी को भी पैसे मत देना। मैने उससे हुई सभी बातो को टेप में रिकॉर्डर कर लिया। इसके बाद मै वहा से रवाना होकर मुकेशचन्द कानि0 के पास आया और उनको टेपरिकॉर्डर पेश कर उनसे हुई ये सभी बाते बताई और फिर वहा से रवाना होकर आपके कार्यालय में आये। इसके बाद कानि0 द्वारा पेश डिजिटल टेपरिकॉर्डर को चालूकर सूना गया तो परिवादी द्वारा बताई गई बातो की पुष्टि हुई एंव सचिव द्वारा रिश्वत की मांग करना नही पाया गया। विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द वापसी विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 रूपये अपने साथ लेकर दिनांक 12.03.2024 को समय 09.00 एएम पर कार्यालय में आने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 12.03.2024 को समय 09.00 एएम पर पाबन्द शुद्वा परिवादी श्री पदमचन्द महावर कार्यालय में उपस्थित आया, जिसको संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली 10.000 रूपये रिश्वत राशि बाबत पूछा तो अपने पास होना बताया। परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात समय 09.05 एएम पर पूर्व से ही जरिये पत्र पाबन्द शुदा गवाह सर्व श्री रामजीलाल सैनी पशुधन सहायक व डा0 श्री नरेश कुमार शर्मा पशु चिकित्सा अधिकारी को श्री मुकेशचन्द कानि0 को लाने हेतु उनके कार्यालय में रवाना किया गया तो समय 09.10 एएम पर श्री मुकेशचन्द कानि0 कार्यालय राजकीय बहुउद्वेशिय पशु चिकित्सालय दौसा से पाबन्द शुदा

दोनों स्वतन्त्र गवाहन सर्व श्री रामजीलाल सैनी पशुधन सहायक व डा0 श्री नरेश कुमार शर्मा पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित आया। जिनका परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी-अपनी स्वेच्छा से अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान का परिवादी श्री पदमचन्द महावर से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 21.02.2024 को पेश किये गये लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अकिंत तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने अपना हस्त लिखित होना तथा उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद परिवादी तथा संदिग्ध आरोपीगण श्रीमती कोशल्या देवी सरपंच, श्री महेश कुमार मीना सरपंच प्रतिनिधि व सचिव श्री कमलेश ग्राम पचायंत चान्दसैन तह0 लालसोट जिला दौसा के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओ को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 21.02.2024, 23.02.2024 व 11.03.2024 को टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दौनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपीगण द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द-ब- शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं में आरोपीगण, श्रीमती कोशल्या देवी सरपंच, श्री महेश कुमार मीना सरपंच प्रतिनिधि व श्री कमलेश सचिव ग्राम पचायंत चान्दसैन तह0 लालसोट जिला दौसा की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री पदमचन्द महावर द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की डीवीडी बनाने हेतु तीन खाली डीवीडी मगंवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्युटर की सहायता से बारी-बारी से तीन डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर तीनों डीवीडी पर मार्क- A-1, A-2, A-3 अकिंत कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री पदमचन्द महावर के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क A-1, A-2 को प्लास्टिक के कवर में अलग-अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित दोनों डीवीडी को अलग-अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1, A-2 अकिंत कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया जाकर श्री बनवारीलाल हैड कानि0 एचएम मालखाना के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया तथा तीसरी डीवीडी मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव जब्ती डीवीडी रिश्वती राशि मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर व मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो डीवीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री पदमचन्द महावर को संदिग्ध आरोपी श्री महेश कुमार मीना सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पचायंत चान्दसैन तहसील लालसोट जिला दौसा को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/-रू0 निकाल कर पेश किये। जिनके नम्बरों का अकंन फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट एंव सुपुर्दगी डिजीटल टेपरिकार्डर में करवाये जाकर नम्बर मन उप अधीक्षक पुलिस एंव उपरोक्त गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। परिवादी द्वारा पेश शुदा नोटों पर श्री रामखिलाडी कानि0 52 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 10,000 रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्री रामखिलाडी कानि0 52 से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री पदमचन्द महावर की जामा तलाशि गवाह डा0 नरेश कुमार शर्मा से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 10,000/-रू. के नोट श्री रामखिलाडी कानि0 52 से परिवादी की पहनी हुई जीन्श की पेंट की बगल की दाहिनी जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उसे देवे। और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन उप अधीक्षक पुलिस तत्कालीन पुलिस निरीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में रामखिलाडी कानि0 52 के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त

पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात पाऊडर लगाने वाले श्री रामखिलाडी कानि0 52 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रेप पार्टी के सदस्यां के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट एंव सुपुर्दगी डिजीटल टेपरिकार्डर पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब समय 11.20 एएम मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री पदमचन्द महावर व स्टाफ सदस्य सर्व श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27, श्री दौलतराम हैड कानि0 101, श्री मुकेशचन्द कानि0 101, श्री राकेश कानि0 70, श्री प्रेमप्रकाश कानि0 382, श्री लोकेश कुमार कानि 155 व श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एंव अन्य साजो सामान के सरकारी वाहन मय ड्राईवर श्री कैलाशचन्द के व एक प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही ग्राम पचांयत चान्दसैन तहसील लालसोट जिला दौसा के लिए रवाना होकर समय 12.30 पीएम पर ग्राम पचांयत चान्दसैन तहसील लालसोट जिला दौसा के नजदीक पहुचा, जहा पर वाहनों को रोड के एक साईड में भीड भाड वाली जगह पर खडा करवाकर परिवादी को टेप रिकॉर्डर को चालूकर करने की मुनासिब हिदायत कर संदिग्ध आरोपी श्री महेश कुमार मीना सरपंच प्रतिनिधि के पास ग्राम पचांयत चान्दसैन के लिए रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचें उतरकर परिवादी के पीछे-2 रवाना होकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये ग्राम पचांयत चान्दसैन के आस पास खडे होकर परिवादी के ईशारे का ईन्तजार करने लगे। समय 1.00 पीएम पर परिवादी श्री पदमचन्द महावर बिना कोई ईशारा किये हुये ही ग्राम पचायंत चान्दसैन से बाहर निकलकर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आया एंव बताया कि साहब सरपंच श्रीमती कोशल्या एंव उसका पति श्री महेश कुमार ग्राम पचायंत में उपस्थित नही है थोडी देर बाद मै वापिस यहा आकर पता कर लुगा। इस पर परिवादी व स्टाफ सदस्यों को दोनों वाहनों में बैठाकर वहा से बाईपास लालसोट पर आकर संदिग्ध आरोपी के आने का ईन्तजार करने लगे। तत्पश्चात समय 02.30 पीएम पर परिवादी श्री पदमचन्द महावर ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब सरपंच पति श्री महेश कुमार मीना अब ग्राम पचायत में आ गया होगा। इस पर परिवादी के कहे अनुसार मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान परिवादी श्री पदमचन्द महावर व स्टाफ सदस्यों के दोनों प्राईवेट वाहानों के वास्ते ट्रेप कार्यवाही बाईपास लालसोट से ग्राम पचायंत चान्दसैन के लिए रवाना होकर समय 03.00 पीएम ग्राम पचांयत चान्दसैन तहसील लालसोट जिला दौसा के नजदीक पहुचा, जहा पर वाहनों को रोड के एक साईड में भीड भाड वाली जगह पर खडा करवाकर परिवादी को टेप रिकॉर्डर को चालूकर करने की मुनासिब हिदायत कर संदिग्ध आरोपी श्री महेश कुमार मीना सरपंच प्रतिनिधि के पास ग्राम पचांयत चान्दसैन के लिए रवाना किया तथा मै व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचें उतरकर परिवादी के पीछे-2 रवाना होकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये ग्राम पचांयत चान्दसैन के आस पास खडे होकर परिवादी के ईशारे का ईन्तजार करने लगे। समय 03.30 पीएम पर परिवादी श्री पदमचन्द महावर बिना कोई ईशारा किये हुये ही ग्राम पचायंत चान्दसैन से बाहर निकलकर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आया एंव बताया कि साहब सरपंच श्रीमती कोशल्या एंव उसका पति श्री महेश कुमार ग्राम पचायंत में उपस्थित नही मिले, इस पर मैने उनके स्टाफ सदस्यों से उनके बारे में पूछा तो उन्होने बताया कि सरपंच साहब श्री महेश कुमार आज नही आयेगें वे कोई काम से बाहर अपनी रिस्तेदारी में गये है। इस पर परिवादी के कहे अनुसार संदिग्ंध आरोपी के बाहर होने के कारण ट्रेप कार्यवाही नही होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी व स्टाफ सदस्यों को दोनों वाहनों में बैठाकर वहा से एसीबी कार्यालय दौसा के लिए रवाना होकर समय 04.20 पीएम पर उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी से रिश्वती राशि एक खाकी लिफाफे में रखवाकर एचएम श्री बनवारीलाल हैड कानि0 से सुरक्षा की दृष्टि से मालखाना में रखवाई गई एंव डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर कार्यालय आलमारी में रखवाया गया। तत्पश्चात समय 05.20 पीएम परिवादी श्री पदमचन्द महावर को संदिग्ध आरोपी सरपंच प्रतिनिधि श्री महेश कुमार मीना के उपस्थित होने की जानकारी कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित करने की हिदायत की गई एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान को अपना मोबाईल ऑन रखने एंव कार्यवाही हेतु बुलाने पर कार्यालय में उपस्थित होने की कहकर परिवादी एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान को जाने की ईजाजत दी गई। इसके बाद दिनांक 22.03.2024 को समय 10.30 पीएम पर परिवादी श्री पदमचन्द महावर कार्यालय में उपस्थित आया एंव मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया की मेरे द्वारा श्री महेश कुमार सरपंच प्रतिनिधि के विरूद्व करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही में मेरे द्वारा मांग सत्यापन के समय उनकी मांग अनुसार रिश्वती राशि 10,000 रूपये ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 12.03.2024 को पेश की गई थी तथा कार्यवाही के दौरान आरोपी ने मेरे को रिश्वत राशि लेकर बुलाया था, लेकिन उस दिन आरोपी ग्राम पंचायत व अपने घर पर नही होने व मुझे नही मिलने के कारण कार्यवाही नही हो सकी थी। इसके बाद मै दिनांक

15.03.2024 को मेरे घरेलू कार्य से लालसोट बाजार आया तो मुझे श्री महेश कुमार सरपंच प्रतिनिधि अचानक बाजार में मिल गया, जिसको मैने नमस्कार किया और मेरे पटटे बाबत वार्ता की तो उन्होने मुझे कहा कि मेरे को सब पता है आप मेरे विरूद्ध एसीबी में कार्यवाही करवा रहे थे अब मै आपसे न तो कोई बातचीत करूगा और न ही आपसे रूपये आदि लुगा। मैने आपका पट्टा भी सचिव को दे दिया आप उससे ही लेना। मैने उनको मना किया लेकिन वह नही माने। मेरे द्वारा उनके खिलाफ करवाई जा रही कार्यवाही की उनको भनक लग चूकी थी। इसलिए वह मेरे से न तो रिश्वत राशि प्राप्त कर रहा था और न ही रिश्वत के सम्बन्ध में कोई वार्ता कर रहा था। इसके बाद उक्त दिनांक को ही मेरे पास सचिव श्री कमलेश कुमार के मोबाईल नम्बर [illegible] से समय करीब 02.24 सैकण्ड पर मेरे मोबाईल नम्बर [illegible] पर कॉल आया और मुझे कहा कि आप अपना पट्टा ले जावों श्री महेश कुमार सरपंच प्रतिनिधि ने कल मुझे दे दिया था और कहा था कि ये पट्टा पदमचन्द को बुलाकर दे देना। इस पर मै ग्राम पचायंत में गया तो श्री कमलेश सचिव महोदय ने मुझे मेरा पट्टा बिना पैसे लिये ही दे दिया। अतः आप मुझे मेरे द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु पेश की गई रिश्वती राशि 10,000 रूपये वापिस लौटाते हुये कार्यवाही को बन्द करने का श्रम करे। परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात पूर्व से पाबन्द शुद्वा दोनों स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री रामजीलाल सैनी पशुधन सहायक व डा0 श्री नरेश कुमार शर्मा पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय राजकीय बहुउद्देशिय पशु चिकित्सालय दौसा को अग्रिम कार्यवाही हेतु जरिये दूरभाष कार्यालय में उपस्थित आने हेतु कहा तो दोनों स्वतन्त्र गवाह समय 11.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा बताई गई बातों से अवगत करवाया गया। परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध आरोपी श्री महेश कुमार सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पचायंत चान्दसेन, पचायंत समिति लालसोट जिला दौसा के विरूद्ध परिवादी द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही का पता चलने व परिवादी पर शक होने एंव संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी का पट्टा सचिव को देने एंव सचिव द्वारा परिवादी को उसका पट्टा फोन कर दिनांक 15.03.2024 को दिये जाने के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने पर परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री रामजीलाल सैनी पशुधन सहायक व डा0 श्री नरेश कुमार शर्मा पशु चिकित्सा अधिकारी के सामने मन उप अधीक्षक पुलिस को अपने द्वारा दिनांक 12.03.2024 को आरोपी की मांग अनुसार पेश की गई रिश्वत राशि 10,000 रूपये वापिस लौटाने व कार्यवाही को बन्द करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवादी द्वारा दिनांक 12.03.2024 को पेश की गई रिश्वती राशि 10,000 रूपये के नोटों को बदलकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर परिवादी से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लोटाये जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 11.40 एएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री पदमचन्द महावर के समक्ष उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 21.02.2024, 23.02.2024 व 11.03.2024 को परिवादी व संदिग्ध आरोपिया श्रीमती कौशल्या देवी सरपंच व श्री महेश कुमार मीना सरपंच प्रतिनिधि एंव श्री कमलेश कुमार सचिव के मध्य रिष्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता रिकार्ड की हुई है। उक्त वार्ताओं के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के कवर में रखकर कवर के पीछे एक चिट चस्पाकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। जब्त शुदा एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB मार्क SD को मालखाना ईन्चार्ज श्रीमती मन्जू देवी हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द जब्ती मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को जाने की ईजाजत दी गई। सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री महेश कुमार मीणा पुत्र श्री गोपाल प्रसाद मीना, निवासी भोपावाली ढाणी थैलोज ग्राम पंचायत चान्दसैन तहसील लालसोट, जिला दौसा हाल सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पचायंत चान्दसेन, पचायंत समिति लालसोट जिला दौसा द्वारा अपनी पत्नि सरपंच श्रीमती कौशल्या देवी के पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री पदमचन्द महावर पुत्र श्री श्रवण लाल महावर, जाति महावर उम्र 27 साल, निवासी ग्राम थलौज, तहसील लालसोट, जिला दौसा से उसके आबादी मकान ग्राम थलोज का पट्टा ग्राम पचांयत से बनवाकर देने की एवज में ग्राम विकास अधिकारी के नाम से स्वंय के लिए 25 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी द्वारा कम करने के लिए कहने पर पॉच हजार रूपये कम करते हुये 20 हजार रूपये देने के लिए कहना, जिसमें से 10 हजार रूपये परिवादी से पूर्व में प्राप्त कर 10 हजार रूपये और देने के लिए कहना एंव फिर आरोपी को परिवादी द्वारा करवाई गई कार्यवाही की भनक लगने पर परिवादी के आबादी मकान का पट्टा ग्राम विकास अधिकारी को दिया जाकर परिवादी को दिलवाया जाना स्पष्ट रूप से पाया गया। आरोपी श्री महेश कुमार मीना सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पचांयत चान्दसेन, पचायंत समिति लालसोट जिला दौसा का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री महेश कुमार मीणा पुत्र श्री गोपाल प्रसाद मीना, निवासी भोपावाली ढाणी थैलोज ग्राम पंचायत चान्दसैन तहसील लालसोट, जिला दौसा हाल सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पचायंत चान्दसेन, पचायंत समिति लालसोट जिला दौसा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम

सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (नवल किशोर) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दौसा.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नवल किशोर, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री महेश कुमार मीणा पुत्र श्री गोपाल प्रसाद मीना, निवासी भोपावाली ढाणी थैलोज ग्राम पंचायत चान्दसैन तहसील लालसोट, जिला दौसा हाल सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पचांयत चान्दसेन, पचायंत समिति लालसोट, जिला दौसा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री नीरज भारद्वाज, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 797 पर अंकित है। (रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 720-22 दिनांक 11.07.2024 प्रतिलिपि:.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2,जयपुर। 2 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दौसा। उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** NEERAJ **Rank**
(जाँच अधिकारी का नाम): BHARDWAJ **(पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/07/2024 10:

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Randheer Singh
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/01/1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)